शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 सितम्बर 2014

उपेक्षित एवं अनाथ बच्चों पर एक अध्ययन
(रायपुर शहर के माना कैम्प में स्थित शास.बालगृह के विशेष संदर्भ में)

*डॉ.सुशीला माहौर
**सपना बड़ोले
*प्राचार्य, शास. कन्या महाविद्यालय, दतिया
**शोधार्थी
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

प्रस्तुत शोध पत्र उपेक्षित एवं अनाथ बच्चों पर एक अध्ययन (रायपुर शहर के उपक्षेत्र माना कैम्प में स्थित शास. बालगृह के विशेष संदर्भ में) पर केन्द्रित है। स्वयंसेवी संस्था व गैर सरकारी संस्था किस प्रकार के समाज कल्याणकारी कार्य कर रही हैं, जिससे बच्चों को एक संरक्षित वातावरण मिलने पर उन्हें किस प्रकार एक विकसित सभ्य समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयत्न कर रही है। जिससे समाज व राष्ट्र दोनों ही लाभान्वित हो सकें। बच्चे ही विकसित समाज की नींव हैं। अतः देश का समस्त विकास बच्चों की भागीदारी के बगैर संभव नहीं। बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य, देश की सामाजिक, आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकती। अतः समाज के बाल वर्ग का अपना विशेष महत्व होता है। उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ बच्चों को संरक्षित कर उन्हें समाज के योग्य बनाया जा रहा है। इस विषय पर समाजशास्त्रीय अध्ययन अपेक्षित है।

मुख्य शब्द - उपेक्षित एवं अनाथ बच्चों का संरक्षित वातावरण

प्रस्तावना

बच्चे समाज व देश का भविष्य हैं। जिस देश व काल में इनके प्रति औचित्यपूर्ण संतुलित विचार रखा जाता है, वह देश उत्तरोत्तर उन्नतिशील व प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। बच्चे सामाजिक जीवन की नींव है। वे आगे बनने वाले सर्वश्रेष्ठ समाज का आधार हैं। बच्चों को देश का भावी नागरिक माना जाता है। इसलिए प्रत्येक समाज बच्चों के भविष्य के लिए अधिकाधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। इसके बावजूद दुनिया के लगभग सभी देश में बच्चों के प्रति भी आपराधिक घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। बालक भगवान का मूर्तिमंत्र माना गया है। उसकी निश्छलता, स्वाभाविकता, शुद्ध सात्विकता तथा भोलेपन आदि को देखकर कौन-सा हृदय मुग्ध नहीं हो उठेगा ? व्यावहारिक जीवन में बालक की उपेक्षा ही की जाती है, उसके चरित्र निर्माण के पथ पर रात-दिन काटे ही बिछाए जाते हैं और माँ-बाप चाहते हैं कि उनका बालक कम से कम वैसा तो बने जैसा वे चाहते हैं। घृणापूर्ण व्यवहार से दूषित ऐसे अस्वस्थ वातावरण में पले हुए बच्चों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता है कि वे समाज के शत्रु बन जाते हैं। घृणा एक घोर समाज विरोधी भाव है

जबकि प्रेम जीवन का बंधन। मानव घृणा का पात्र तथा व्यर्थ का बोध है, उसे क्यों न विश्वास हो कि उसके साथ रहने वाले उसके दुश्मन हैं तथा समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। यही विश्वास समाज में विद्रोहियों, अपराधियों और सामाजिक पंगुओं को पैदा करने का कारण है। एक उपेक्षित एवं घृणा के पात्र बालक के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं जैसे कि -

क्या मुझे इस बात का डर लगता है कि लोग मुझे एक आदरणीय गरीब समझें ?

किसी व्यक्ति से मैं अपने को हीन समझता हूँ और क्यों ?

क्या अपने बचपन के अनुभव के कारण मैं अपने साथियों से घृणा करता हूँ ?

क्या मैं जीवन की जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ ?

बच्चे, जो किसी संरक्षक के बिना मिलते हैं, जिनके रहने, खाने-पीने आदि की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, क्या ये बच्चे इन सभ्य मानव समाज से अलग हैं, जब सभी चाहे, वह मानव हो या पशु सभी समूह में रहना चाहते हैं तो इन बच्चों को समाज से अलग कैसे समझा जा सकता है।

शोध का उद्देश्य

शासकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों को संरक्षण देने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा इनके द्वारा किये गये समाज-कल्याण कार्यों का अध्ययन करना।

अध्ययन की उपकल्पनाएँ

शोध कार्य से संबंधित शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है ताकि अध्ययन विषय की मांग के अनुसार समुचित निर्देशन में अध्ययन कार्य को पूर्ण किया जा सके।

1.उपेक्षित व अनाथ बच्चों की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।

2.बच्चों का परिवार से उपेक्षित होने के मानसिक, व्यावहारिक लक्षणों का अध्ययन।

3.नक्सल प्रभावित बच्चों पर अध्ययन।

4.बच्चों के अनाथ होने से उनके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव है ? उन प्रभावों का अध्ययन।

निदर्शन

शासकीय बालगृह माना कैम्प रायपुर जिसमें उत्तरदाताओं (बच्चों) की संख्या 123 है। इन्हीं बच्चों में से 100 बच्चों के अध्ययन हेतु दैव निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है, जो कि पूरे संस्था का प्रतिनिधित्व करता है।

अध्ययन के उपकरण

अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क साक्षात्कार अनुसूची और अवलोकन प्रविधि के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तरदाताओं से औपचारिक चर्चा के द्वारा भी अध्ययन विषय से संबंधित विषयों के पक्ष पर जानकारी प्राप्त की गई है।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि 7 से 11 वर्ष तक की आयु वाले बालक 15 हैं तथा 12 से 15 वर्ष तक आयु वाले बालक 55 हैं।

65 उत्तरदाता हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं। 15 उत्तरदाता मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं तथा 20 उत्तरदाताओं को अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

80 उत्तरदाताओं को संस्था में ही प्राथमिक शाला के स्तर की शिक्षा दी जाती है तथा 5 उत्तरदाता अशिक्षित है।

65 उत्तरदाता माता-पिता का अभाव महसूस करते है, 20 उत्तरदाता महसूस नहीं करते हैं।

30 उत्तरदाताओं से रिश्तेदार व परिवार मिलने आते है व 55 उत्तरदाताओं से कोई भी मिलने नहीं आता है और 15 उत्तरदाता अपने परिवारवालों से 4-5 दिनों के लिए स्वयं मिलने जाते है।

85 उत्तरदाता संस्था में पुलिस के द्वारा, 10 परिवारवालों द्वारा लाये गये हैं तथा 5 उत्तरदाता पड़ोसी के द्वारा भेजे गये हैं।

10 उत्तरदाता पारिवारिक विघटन के कारण तथा 45 भिक्षावृत्ति, नशीली पदार्थ का सेवन करते तथा बालश्रम करते हुए पाये गये, जिन्हें संस्था में लाया गया है।

55 उत्तरदाताओं को संस्था में रहना अच्छा लगता है तथा 45 उत्तरदाताओं को संस्था में रहना अच्छा नहीं लगता है।

संदर्भ ग्रंथ

1.बचपन - मैरी चैडविक, एस.आर.एन.

2.सामाजिक आपराधिक - डा॰ एन.वी. परांजपे

3.सामाजिक मानवशास्त्र की रुपरेखा - रविन्द्रनाथ मुकर्जी

4.हीन भावना - डब्ल्यू., जे. मैकब्राइड, जी.पी. सिंह

5.माता-पिताओं से - महात्मा भगवानदीन

6.आपके बालक और मनोविज्ञान - ब्रज बिहारी निगम

7.बच्चे कब क्या सीखते है ? - एन.डी. सहगल एण्ड सन्स

8.अपराध एवं समाज – डॉ.. धर्मवीर महाजन, डॉ. कमलेश महाजन

9.अपराधशास्त्र – डॉ.. डी.एस. बघेल

10.विवेचनात्मक अपराधशास्त्र - राम आहूजा, मुकेश आहूजा

11.किशोर अधिनियम 2000

12.समाचार पत्र-पत्रिकाएँ - हरिभूमि, दैनिक भास्कर, पत्रिका, नवभारत, मनोरमा, अमृत संदेश।